न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 53/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/305

1. सरजीत कौर उर्फ गुरदीप कौर पत्नी जगराज सिंह दोहिती सन्तकौर पत्नी सुन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी 17 ए तहसील अनूपगढ़ हाज जोडकिया तहसील पदमपुर श्रीगंगानगर राज. ....(मृतक)

1/1. वकील सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 17 ए तहसील अनूपगढ़ हाल जोडकियां तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.............(मृतक)

1/1/1. जसविन्द्र कौर पत्नी वकील सिंह } जाति जटसिख निवासीगण

1/1/2. सन्तोख सिंह पुत्र वकील सिंह } जोडकियां तहसील पदमपुर

1/1/3. पवनदीप कौर पुत्री वकील सिंह पत्नी हैप्पी सिंह जाति जटसिख निवासी तामकोट तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

1/1/4. गगनदीप कौर पुत्री वकील सिंह पत्नी सतविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. हरजीत कौर पुत्री बोगा सिंह पत्नी छिन्दा सिंह जाति जटसिख निवासी 75 जीबी तहसील अनूपगढ़
2. राजवन्त सिंह पुत्र बोगा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. गुरलाभ सिंह पुत्र मोमनराम पुत्र बोगा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भू.अ./राजस्व) अनूपगढ़

–प्रत्यर्थीगण

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>

उपस्थिति :–

1. श्री पवन चुघ, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री हरीचन्द अरोड़ा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1
3. श्री प्रेमचन्द अतरी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 2–3
4. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रत्यर्थी सं. 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 23/04/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. अपीलार्थी सरजीत कौर के द्वारा पूर्ववर्ती न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष यह अपील(प्र.सं. 22/2016) प्रस्तुत की गयी थी जो क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को अपील प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दर्ज की गयी। अपीलार्थी के द्वारा अपील प्रस्तुत कर तहसीलदार अनूपगढ़ के इन्तकाल आदेश दिनांक 05.06.2015 जिसके द्वारा चक 17ए ए तहसील अनूपगढ़ के मु.नं. 31 प.नं. 197/19 कि.नं. 1 ता 24 की कुल 5.527है. भूमि का विरास्तन आधार पर इन्तकाल अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 के नाम से दर्ज किया गया हैं को निरस्त करने हेतु निवेदन किया ...
2. प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि... प्रा... पत्र आदेश 41 नियम 21 व धारा 151 सीपीसी, प्रार्थना पत्र ... प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 ... 80(1) भू राजस्व अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी का निस्तारण होना ... हैं। उभयपक्ष अधिवक्तागण ... प्रार्थना पत्रों पर सुना गया।
3. प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 21 व धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी सं. 1 के विरूद्ध न्यायालय द्वारा पारित किये गये एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 09.11.2017 को अपास्त कर सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया हैं। अपीलार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी पर सम्मन की समुचित विधिवत तामील हो जाने

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:53:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर अनूपगढ़

के बावजूद प्रत्यर्थी लापरवाही व गफलतवश न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। सम्मन की तामील विधिवत हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 निवेदन किया कि प्रत्यर्थी को प्रेषित किये गये सम्मन की तामील लड़के पर बताते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की गयी हैं जबकि सम्मन की तामील प्रत्यर्थी स्वयं पर होनी चाहिए थी, इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी को प्रेषित किये गये सम्मन पर पति का नाम छिन्दा सिंह अंकित हैं जबकि पति का नाम सरूप सिंह हैं। अतः प्रत्यर्थी पर सम्मन की तामील विधिवत नहीं हैं, यदि प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता हैं तो प्रत्यर्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पेड़ेगा। अपीलार्थी अधिवक्ता का कथन हैं कि प्रत्यर्थी पर सम्मन की विधिवत तामील हो जाने के बावजूद प्रत्यर्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं आए जिस कारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी हैं जो कि विधि अनुसार हैं। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में प्रत्यर्थी सं. 1 उपस्थित होकर सुनवाई चाहते हैं तथा वर्तमान रिकार्ड अनुसार भूमि में सहखातेदार हैं। अपीलार्थी के द्वारा उक्त इन्तकाल जिसके द्वारा अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण के पक्ष में विरास्तन आधार पर भूमि दर्ज की गयी हैं को अपास्त कर अकेले अपीलार्थी के नाम से भूमि दर्ज करने के आदेश पारित करने के अनुतोष के आधार पर अपील प्रस्तुत की हैं। अतः अपीलार्थी अपील से प्रत्यक्षतः प्रभावित हितबद्ध पक्षकार हैं तथा सुनवाई का अवसर चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्रत्यर्थी सं. 1 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायसंगत हैं। लिहाजा प्रार्थना पत्र आ. 41 नि. 21 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर प्रत्यर्थी सं. 1 के विरूद्ध की गयी एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 09.11.2017 को अपास्त किया जाता हैं।

4. प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 10 व 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि अपीलार्थीया ने जीवनकाल में अपीलाधीन कृषि भूमि को लेकर एक वाद सं. 23/2016 न्यायालय उपजिला कलैक्टर अनूपगढ़ के समक्ष संस्थित किया तथा तत्पश्चात यह अपील पेश की। वाद एवं अपील में वांछित अनुतोष एक समान हैं। दोनों प्रकरणों के पक्षकार भी समान हैं। वादीया अपने अधिकारों की घोषणा केवल और केवल अपने वाद के माध्यम से ही करवा सकती हैं। चूंकि वाद पहले से संस्थित किया जा चुका हैं इसलिए न्यायालय इस प्रकरण पश्चातवर्ती विधिक प्रक्रिया में कोई संज्ञान नहीं ले सकता हैं। अपील अपास्त करने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय उप जिला कलैक्टर अनूपगढ़ के समक्ष संस्थित वाद स्थाई समाधान हेतु अपने अधिकारों की घोषणा का प्रस्तुत किया गया हैं। अपील के माध्यम से रेस्पो. के पक्ष में हुए विधि विरूद्ध नामान्तरण की जांच एवं नामान्तरण को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया हैं। नामान्तरण एक सरसरी प्रक्रिया हैं जिससे किसी पक्षकार के हक अधिकार व दायित्वों का निर्धारण नहीं किया जा सकता हैं। धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान वाद की प्रक्रिया को रोकने से संबंधित हैं। अपील में धारा 10 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। संक्षिप्त कार्यवाही पर धारा 10 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र सुना गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत वाद पत्र की छायाप्रति का अवलोकन किया। अपीलार्थीया के द्वारा न्यायालय उप जिला कलैक्टर, अनूपगढ़ के समक्ष धारा 88–188 राज[illegible] अपीलाधीन कृषि भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा [illegible]लाधीन आलौच्य आदेश को निरस्त करने व स्थाई नि[illegible] वाद प्रस्तुत किया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीया द्वारा आलोच्य आदेश को अपास्त कर अपीलार्थी अकेले के नाम से नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया हैं। घोषणात्मक वाद एवं [illegible]न्तरण के विरूद्ध अपील प्रकरण दोनों पृथक पृथक प्रकृति के प्रकरण हैं। न्यायालय अपीलार्थी अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत हैं कि नामान्तरण संक्षिप्त कार्यवाही हैं, जिससे किसी प्रकार के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता हैं, अपीलार्थी की ओर से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में पृथक से वाद पत्र पेश किया गया हैं, जिस हेतु वे स्वतंत्र हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 10 व 151 सिविल प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:53:44 IST
Reason: SelfAttested

5. अपीलार्थी अधिवक्ता धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार का आलौच्य आदेश दिनांक 05.06.2015 अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिऐ बिना नोटिस दिए एकपक्षीय पारित किया गया हैं। अपीलार्थी को उक्त भूमि प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 के द्वारा बेचान किये जाने के संबंध में मालूम होने पर पटवारी हल्का से भूमि रेस्पों. के नाम से दर्ज होने का ज्ञान हुआ। अपीलांट द्वारा दिनांक 10.03.2016 को विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तथा अपील इल्म से अन्दर मियाद पेश की गई हैं। अपीलांट सद्‌भावी हैं। अपील अन्दर मियाद ग्रहण करने हेतु निवेदन किया किया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को आलौच्य आदेश का प्रारम्भ से ज्ञान था उनके द्वारा देरी से यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं जो कंडोन किये जाने योग्य नहीं हैं। अपीलार्थी के द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का पर्याप्त कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए अपीन मियाद बाहर होने के कारण अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्तागण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया। अपील प्रकरण में उत्तराधिकार संबंधि प्रश्न निहित हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिकार्ड अनुसार कुर्सीनामा के द्वारा नामान्तरण दर्ज किया गया हैं, प्रकरण में उभयपक्ष की सुनवाई कर आदेश पारित नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण को मेरिट पर तय किया जाना न्यायसंगत हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती हैं।

6. अपीलार्थीगण जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 सीपीसी मय दस्तावेज प्रस्तुत कर अपीलार्थी की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष समान पक्षकारों के मध्य प्रस्तुत वाद पत्र 23/2016 में रेस्पों. सं. 2 व 3 द्वारा दिनांक 17.12.2020 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एवं तस्दीकशुदा राजीनामा व राजीनामा आधार पर पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.12.2020 को अपील के निर्णय हेतु आवश्यक दस्तावेज होने के कारण रिकार्ड पर लिया जाने हेतु निवेदन किया। प्रत्यर्थी सं. 1 जरिए अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीया द्वारा यह तथाकथित राजीनामा रेस्पों. 2 व 3 को प्रलोभित कर करवाया हैं। दिनांक 17.12.2020 को राजीनामा आधार से पारित आदेश को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में प्रश्नागत किया जा चुका हैं। राजीनामा प्रत्यर्थी सं. 1 के अधिकारों को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया हैं। प्रत्यर्थी के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के प्र.सं. 51/2021 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2021 की प्रति प्रस्तुत की। उभयपक्ष अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया। प्रकरण में अपीलार्थी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ में विचाराधीन वाद में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 के राजीनामा की प्रति को रिकार्ड पर लिया जाने हेतु निवेदन किया हैं। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा एतराज उठाया गया हैं कि राजीनामा प्रलोभित होकर प्रत्यर्थी सं. 1 के अधिकारों को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रत्यर्थी सं. 2–3 द्वारा किया गया हैं। राजीनामा के आधार पर पारित आदेश को अपीलीय न्यायालय में प्रश्नगत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज राजीनामा की प्रति उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ द्वारा तस्दीकशुदा हैं। राजीनामा अपीलाधीन कृषि भूमि से संबंधित होने के कारण प्रकरण में न्यायपूर्ण निर्णय हेतु आवश्यक दस्तावेज हैं जो कि अपील प्रस्तुत होने के [illegible] दस्तावेज होने के कारण अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाना न्यायसंगत हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाता हैं।

7. अपीलार्थीगण की ओर से जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र धारा 80(1) राज. भू राजस्व अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली बाबत नामान्तरण सं. 115 एवं सम्पूर्ण पत्रावली बाबत नामान्तरण सं. 71 तलब किये जाने हेतु निवेदन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरण सं. 115 में अंकित किया गया हैं कि पूर्व में सरजीत कौर के पक्ष में दर्ज नामान्तरण सं. 71 की खारिजी पुनश्च्य दर्ज करने के आदेश के साथ गुरलाभ सिंह के आवेदन पर पृष्ठांकित आज्ञा मुताबिक कुर्सीनामा के सन्तकौर के

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:53:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर अनूपगढ़

वारिसान के नाम विरास्तन इंतकाल दर्ज किया जावे। ऐसी स्थिति में इन्तकाल सं. 71 व 115 की पत्रावलियां न्यायपूर्ण निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय से तलब करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 निवेदन किया किया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की ओर से नामान्तरण सं. 115 संबंधित रिकार्ड प्रेषित कर दिया गया हैं। नामान्तरण सं. 71 का प्रकरण से कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलाधीन इन्तकाल सं. 115 संबंधित रिकार्ड प्राप्त हो चुका हैं। प्रकरण में इंतकाल सं. 71 को चुनौति नहीं दी गयी हैं। इसलिए उक्त रिकार्ड को तलब किया जाना न्यायालय आवश्यक नहीं समझता हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं।

8. उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी। अपीलार्थी अधिवक्ता अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि चक 17ए ए तहसील अनूपगढ़ मु.नं. 31 प.नं. 197/19 कि.नं. 1 ता 24 कुल 5.527है. अपीलार्थी की नानी सन्तकौर पत्नी सुन्दर सिंह को विशेष आवंटन के तहत पुख्ता आंवटित हुई थी। सन्त कौर का देहान्त वर्ष 1983 में हो गया। सन्त कौर की मृत्यु से पूर्व ही उनकी एकमात्र वारिस गुरनाम कौर जो कि अपीलार्थीया की माता थी का देहान्त वर्ष 1962 में हो चुका गया था। वर्तमान में अपीलार्थीया ही सन्तकौर की एकमात्र विधिक वारिस हैं। अपीलार्थी की माता गुरनाम कौर का विवाह बोगा सिंह के साथ हुआ था गुरनाम कौर व बोगा सिंह से एक मात्र संतान अपीलार्थीया ने जन्म लिया था। अपीलार्थीया के जन्म के कुछ समय बाद गुरनाम कौर का देहान्त हो गया, जिसके बाद अपीलार्थी के पिता बोगा सिंह ने दूसरा विवाह मुकन्द कौर के साथ कर लिया जिससे प्रत्यर्थी सं. 1–2 हरजीत कौर व राजवन्त सिंह तथा मोमनसिंह का जन्म हुआ। मोमन सिंह का देहान्त हो गया, जिसका पुत्र प्रत्यर्थी सं. 3 हैं। अपीलार्थीया की नानी सन्तकौर की भूमि में प्रत्यर्थीगण का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं हैं, न ही वे सन्तकौर के विधिक वारिसान की श्रेणी में आते हैं। सन्तकौर की एकमात्र वारिस होने के कारण अपीलांट द्वारा विवादित भूमि का नामान्तरण अपीलार्थी के नाम से दर्ज करने हेतु तहसीलदार अनूपगढ़ को निवेदन करने पर नामान्तरण सं. 71 द्वारा भूमि अपीलार्थीय के पक्ष में दर्ज कर दी गयी। लेकिन तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा नामान्तरण सं. 71 को बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए प्रत्यर्थीगण से मिलीभगत कर निरस्त करते हुए राजस्व अभियान 2015 में रेस्पों. सं. 3 के आवेदन व बोगा सिंह के कुर्सीनामा के आधार पर भूमि का विरास्तन इंतकाल अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 के नाम से दर्ज कर दिया। जबकि प्रत्यर्थीगण का अपीलार्थीया की नानी की भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं होने से वे भूमि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे। आलौच्य आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त करने तथा अपीलार्थी के अकेले के नाम से अपीलाधीन भूमि को दर्ज करने के आदेश तहसीलदार अनूपगढ़ को दिये जाने हेतु निवेदन किया।

9. अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीया द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष अपीलाधीन कृषि भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा हैं जिसमें भी अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया हैं। अपीलार्थीया की माता के देहान्त के बाद पिता बोगा सिंह ने दूसरा विवाह किया जो कि सिख समुदाय की परम्परानुसार किया गया हैं। गुरनाम कौर का देहान्त सन्तकौर की मृत्यु से पूर्व ही हो चुका था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रत्यर्थीगण भूमि में हिस्सा पाने के अधिकारी हैं। अपीलार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है वह ... साक्ष्यों के आधार पर ही तय हो सकता हैं। अपील चलने योग्य नहीं है अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

10. उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अधिनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। अपीलार्थीया द्वारा निवदेन किया गया हैं कि प्रत्यर्थीगण सन्तकौर की भूमि में हिस्सा पाने के विधिक अधिकारी नहीं हैं। सन्त कौर की एकमात्र वारिस गुरनाम कौर की एकमात्र वारिस अपीलार्थीया हैं। अपीलार्थीया के पिता बोगा सिंह को भूमि में हिस्सा प्राप्त नहीं हो सकता था इसलिए बोगा सिंह की दूसरी शादी से उत्पन्न संतानें भी हिस्सा पाने की अधिकारी नहीं हैं। केवल मात्र अपीलार्थीया ही भूमि प्राप्त करने की अधिकारी हैं। इसके विपरीत प्रत्यर्थी सं. 1 का कथन हैं कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वे

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:53:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर अनूपगढ़

भूमि में हिस्सा पाने के अधिकारी हैं। आलौच्य आदेश विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया हैं।

11. अपीलाधीन भूमि चक 17ए ए तहसील अनूपगढ़ मु.नं. 31 प.नं. 197/19 कि.नं. 1 ता 24 कुल 5.527है. सन्त कौर पत्नी सुन्दर सिंह के नाम से विशेष आवंटन के रूप में दर्ज थी, जो कि तहसीलदार अनूपगढ़ के नामान्तरण स्वीकृति आदेश दिनांक 05.06.2015 के द्वारा विरास्तन आधार पर भूमि अपीलार्थीया व प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 के नाम से दर्ज की गयी हैं। नामान्तरण में भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा जांच के समय नोट अंकित किया गया हैं कि "पूर्व में सरजीत कौर के पक्ष में दर्ज नामान्तरण सं. 71 की खारिजी व पुनश्चय दर्ज करने के आदेश के साथ गुरलाभ सिंह के आवेदन पर पृष्ठांकित आज्ञा मुताबिक कुर्सीनामा के संतकौर के वारिसान के नाम विरास्तन इन्तकाल किया जावे के निर्देशानुसार अंकन सही हैं।" इस प्रकार स्पष्ट हैं कि पूर्व में भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीया के पक्ष में दर्ज किया गया था जो कि आलौच्य आदेश द्वारा खारिज कर पुनः अपीलार्थीया व प्रत्यर्थीगण के नाम से कुर्सीनामा के आधार पर दर्ज किया गया। नामान्तरकरण में अंकित कुर्सीनामा का अवलोकन किया जिसमें सन्तकौर मृतक के दो वारिस दर्शाये गये हैं 1. पति सुन्दर सिंह(फौत) 2. गुरनाम कौर (फौत)। इसके पश्चात गुरनाम कौर के दो वारिसान सरजीत कौर पुत्री व बोगा सिंह पति दर्शाये गये हैं। बोगा सिंह फौत होने के कारण द्वितीय पत्नी मुकन्द कौर (फौत) से आगे मोमन सिंह पुत्र, राजवन्त सिंह पुत्र, हरजीत कौर पुत्री व सरजीत कौर पुत्री वारिसान दर्शाए गये हैं। मोमन सिंह के फौत कोने के कारण उनके वारिसान में जसवीर कौर पत्नी(फौत) व गुरलाभ सिंह पुत्र वारिसान दर्शाए गये हैं। इस प्रकार उक्त कुर्सीनामा के आधार पर अपीलार्थीया को 5/8 हिस्सा व प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 प्रत्येक को 1/8 हिस्सा भूमि का नामान्तरण दर्ज किया गया हैं।

12. अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि आलौच्य आदेश राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 में पारित किया गया हैं, नामान्तरण पर अंकन अुनसार नामान्तरकरण प्रत्यर्थी सं. 3 गुरलाभ सिंह के आवेदन पर पृष्ठांकित आदेश की पालना में दर्ज किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2015 पूर्व में अपीलार्थीया के नाम से दर्ज किये गये नामान्तरण सं. 71 को निरस्त करते हुए पारित किया गया हैं। अपीलार्थीया द्वारा अपील में कथन किया गया हैं कि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीया को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा भी अपीलार्थीया को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किये जाने से संबंधित कोई दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में अपीलार्थीया के नाम से इंतकाल दर्ज किया जा चुका था तो अपीलार्थीया को बिना सुनवाई अवसर दिये पूर्व इंतकाल को खारिज कर पुनश्चः नया नामान्तरकरण दर्ज किया जाना न्यायसंगत नहीं हैं। ना ही तहसीलदार अनूपगढ़ को पूर्व में दर्ज नामान्तरण को खारिज करने का कोई अधिकार प्राप्त था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ को चाहिए था कि वे प्रार्थी गुरलाभ सिंह से आवेदन प्राप्त होने पर अपीलार्थीया को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए आदेश पारित करते। जबकि ऐसा नहीं किया गया।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीया आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसीलदार अनूपगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2015 जिसके द्वारा चक 17ए ए तहसील अनूपगढ़ के मु.नं. 31 प.नं. 197/19 कि.नं. 1 ता 24 की कुल 5.527है. भूमि का विरास्तन आधार [illegible] स. 115 अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 के नाम से दर्ज किया गया था को [illegible] किया जाता हैं एवं प्रकरण तहसीलदार अनूपगढ़ को [illegible] किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का [illegible] करते हुए एक माह के भीतर पुनः निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:53:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 23/01/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
I.A.S
जिला कलक्टर अनूपगढ़
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़